2018 का विधेयक संख्यांक 144

[दि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 2017 का 13

(i) खंड 6 के उपखंड (iv) में, "विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात् "या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में," शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड 16 के स्पष्टीकरण की दीर्घ पंक्ति में "नगरपालिका को" शब्दों के पश्चात् "या अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को" शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति की बाबत, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) में, "जो कारबार शीर्ष है," शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि जहां माल का परिवहन भारत से बाहर स्थान के लिए होता है, वहां पूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाओं की दशा में लागू नहीं होंगी जो भारत में मरम्मत के लिए या किसी अन्य उपचार या प्रक्रिया के लिए स्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के पश्चात्, जो ऐसी मरम्मत या उपचार या प्रक्रिया के लिए, अपेक्षित हैं, उससे भिन्न, भारत में किसी उपयोग में लाए बिना ऐसी मरम्मत, उपचार या प्रक्रिया के लिए निर्यात कर दी जाती हैं ;"।

धारा 17 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रभाजित न की गई रकम, तत्समय परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार को पचास प्रतिशत की दर पर और, यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों को तदर्थ आधार पर पचास

प्रतिशत की दर पर प्रभाजित की जाएगी और उक्त उपधाराओं के अधीन प्रभाजित रकम के प्रति समायोजित की जाएगी ।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 20 का संशोधन ।

"परंतु यह भी कि जहां अपील, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाती है, वहां अधिकतम संदेय रकम क्रमशः पचास करोड़ रुपए और एक अरब रुपए होगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अन्तरराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम नए माल और सेवा कर प्रणाली के लिए विद्यमान करदाताओं के निर्बाध पारगमन के लिए कतिपय उपबंध करता है । तथापि, नई कर प्रणाली में ऐसे पूर्तिकर्ता द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, कराधेय माल या सेवाओं की पूर्ति से संबंधित विषयों के संबंध में और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच एकीकृत कर लेखा में अतिशेष के परिनिर्धारण को सुकर बनाने में कतिपय कठिनाइयां आ रही हैं । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और करदाताओं के लिए सुगम कारबार में सुधार करने के लिए तथा कतिपय विनिर्दिष्ट पूर्तियों के लिए निर्यात संबद्ध फायदों का विस्तार करने के लिए, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

3. प्रस्तावित एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :--

(i) केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने वाली अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करना, जिससे कि अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ताओं से कतिपय विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों की प्राप्ति के संबंध में प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित किया जा सके ;

(ii) अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करना, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि माल का परिवहन भारत से बाहर किसी स्थान के लिए है, तो पूर्ति का स्थान ऐसे माल का गंतव्य स्थान होगा ;

(iii) अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करना, जिससे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच एकीकृत कर लेखे में अतिशेष के परिनिर्धारण के लिए बराबर उपबंध किया जा सके ; और

(iv) अधिनियम की धारा 20 का निम्नलिखित के लिए संशोधन करना,--

(क) अपील प्राधिकारी के समक्ष अपीलों के फाइल किए जाने के लिए संदेय पूर्व निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट करने हेतु पचास करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा नियत करने ;

(ख) अपील अधिकरण के समक्ष अपीलों के फाइल किए जाने के लिए संदेय पूर्व निक्षेप की रकम को विनिर्दिष्ट करने हेतु एक सौ करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा नियत करने ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 अगस्त, 2018

पीयूष गोयल

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

* * * * * *

(6) "निर्यात सेवाओं" से किसी सेवा का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जब,--

* * * * * *

(iv) सेवा के पूर्तिकार द्वारा ऐसी सेवा के लिए संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है ; और

* * * * * *

(16) "गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता" से कोई ऐसी सरकार, ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी प्राधिकरण, व्यष्टि या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के संबंध में आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है ;

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी प्राधिकरण" पद से,--

(i) संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई भी अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिसके पास संविधान के अनुच्छेद 243ब के अधीन किसी नगरपालिका को सौंपे गए किसी कृत्य को कार्यान्वित करने के लिए साधारण शेयर या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक की भागीदारी है ;

* * * * * *

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

5. (1) * * * * *

(4) कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में एकीकृत कर ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता के रूप में संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो ।

* * * * * *

8. (1) * * * * * राज्य के भीतर पूर्ति ।

(2) धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन, सेवाओं की पूर्ति को, जहां पूर्तिकार की अवस्थिति और सेवा की पूर्ति का स्थान उसी राज्य में या उसी संघ राज्यक्षेत्र में हैं, राज्य के भीतर पूर्ति के रूप में समझा जाएगा :

परंतु सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति के अंतर्गत किसी आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या उसके द्वारा सेवा की पूर्ति नहीं आएगी ।

स्पष्टीकरण 1--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी व्यक्ति के पास,--

* * * * * *

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है और कोई अन्य स्थापन, जो कारबार शीर्ष है, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर रजिस्ट्रीकृत है,

तो ऐसे स्थापनों को विभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में समझा जाएगा ।

* * * * * *

12. (1) * * * * * सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत में है ।

(8) (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल के परिवहन, जिसके अंतर्गत मेल या कुरिअर द्वारा भी आते हैं, के रूप में सेवाओं की पूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति का अवस्थान होगा ;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति का स्थान, वह स्थान होगा, जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए वाहन पर चढ़ता है :

* * * * * *

13. (1) * * * * * सेवाओं की पूर्ति का स्थान, जहां पूर्तिकार का अवस्थान या प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है ।

(3) निम्नलिखित सेवाओं की पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां वास्तविक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात् :--

(क) ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाएं, जिसमें सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए, सेवाओं के पूर्तिकार या सेवाओं के पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के पास वस्तुत: उपलब्ध होना अपेक्षित है :

परंतु जब ऐसी सेवाएं इलेक्ट्रानिक साधनों के रूप में दूरस्थ अवस्थान से प्रदान की जाती हैं, तब पूर्ति का स्थान वह अवस्थान होगा, जहां माल सेवा की पूर्ति के समय स्थित है :

परंतु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात माल की बाबत पूर्ति की गई ऐसी सेवाओं की दशा में लागू नहीं होगी, जो भारत में मरम्मत के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई हैं और ऐसी मरम्मत के लिए, जो अपेक्षित है, उससे भिन्न भारत में किसी अन्य उपयोग में लिए बिना मरम्मत के पश्चात् निर्यात कर दी जाती हैं ;

* * * * * *

MGIPMRND—1405LS(CRC)—6-8-2018.